

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

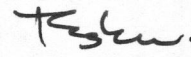
क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(आर-256) अलेसे-1/1362

दिनांक:- 15/12/2020

कार्यालय आदेश

श्री राधेश्याम कुमावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, (लिंक नं. 445) का विभागीय आदेश संख्या 468 दिनांक 12.09.2019 के द्वारा कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सीकर से कार्यालय वाणिज्य कर अधिकारी, बांसवाड़ा में सहायक लेखाधिकारी के पद पर किया गया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में रिट पीटिशन संख्या 17954/2019 दायर करने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय आदेश संख्या 468 दिनांक 12.09.2019 की क्रियान्विति पर स्थगन आदेश पारित किया गया, जिसके कारण श्री कुमावत को जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सीकर में यथावत पदस्थापित किया गया। उक्त कार्यालय में श्री कुमावत के स्थानान्तरण से रिक्त हुए पद पर श्री बने सिंह कविया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का पदस्थापन किया गया था तथा श्री कविया द्वारा माह अक्टूबर, 2019 के वेतन का आहरण उक्त कार्यालय से कर लिया गया था, परिणामस्वरूप श्री कुमावत का द्वारा माह अक्टूबर, 2019 की अवधि का वेतन यहाँ से आहरित नहीं किया जा सका।

अतः श्री राधेश्याम कुमावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के माह अक्टूबर, 2019 के वेतन का आहरण कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के रिक्त पद के विरुद्ध करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

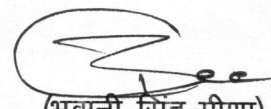

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(आर-256) अलेसे-1/1362

दिनांक:- 15/12/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सीकर।
2. वाणिज्य कर अधिकारी, बांसवाड़ा।
3. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) को प्रेषित कर अनुरोध है कि श्री राधेश्याम कुमावत, स.ले.अ. ग्रेड-1 के वेतन आहरण की व्यवस्था करावें।
4. श्री राधेश्याम कुमावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सीकर।
5. उपनिदेशक (ए.सी.पी) कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदय।
7. रक्षित निजी पत्रावली।


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)